

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,

(1) नगर पंचायत-राया, जनपद-मथुरा।

(2) नगर पंचायत-दिलदार नगर, जनपद-गाजीपुर।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 04 मार्च, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नागर निकायों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1021आ.न.यो./9-8-2013-12(3)आ.न.यो./2013 दिनांक 05.8.2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रूपये 1520.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 760.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। निम्न निकायों ने शासन द्वारा स्वीकृत उक्त 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05.8.2013 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निकायों के सम्मुख अंकित अवशेष धनराशि रूपये 62.50 लाख (रूपये बासठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रमांक	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	शासनादेश संख्या- 1021आ.न.यो./9-8-2013-12(3)आ.न.यो./2013 दिनांक 05.8.2013 द्वारा अवमुक्त 50 प्रतिशत की धनराशि	निकायों को अवशेष धनराशि की स्वीकृति (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	मथुरा	न.पं. राया	105.00	52.50	52.50
2	गाजीपुर	न.पं. दिलदार नगर	20.00	10.00	10.00
		योग-	125.00	62.50	62.50

दिनांक

2. : उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक- "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. शासनादेश संख्या-1021आ.न.यो./9-8-2013-12(3)आ.न.यो./2013 दिनांक 05.8.2013 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

संख्या- 67/261 (1)आ.न.यो./9-8-14 तददिनांक ।

वि.वि.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

उमा शंकर सिंह

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

वि.वि.

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष :-2013-2014

आवंटन दिनांक-04/03/2014

प्रेषण संख्या:-

67-261

आवंटन आदेश संख्या:-

001-67-261ANY-9-8-14-2ANYBud-2013

अनुदान संख्या:-

37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - आदर्श नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	5250000 72000000	5250000 72000000
2	गाजीपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	1000000 33400000	1000000 33400000
	योग	वर्तमान प्रणामी	6250000 105400000	6250000 105400000


महायोग - (वर्तमान आवंटन):-

महायोग - (प्रणामी आवंटन):-

रूपया बासठ लाख पचास हजार

रूपया दस करोड़ चौवन लाख

उप सचिव
उमा शंकर सिंह


उमा शंकर सिंह